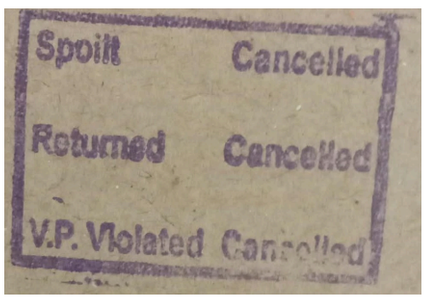
पंचायती राज चुनाव 2026 · पंच और सरपंच, मतपेटी वाला दिन · मतदान दल के लिए

रद्द मतपत्र की मोहर, और मतपत्र लेकर वोट न देना चाहे तो

बैंगनी रबर मोहर पर तीन लाइनें छपी हैं: **Spoilt Cancelled, Returned Cancelled और V.P. Violated Cancelled.** तीनों उस मतपत्र की बात करती हैं जो मतदाता को दिया गया, पर मतपेटी में नहीं गया। यहाँ हर लाइन का नियम है और यह कि आज वह लागू है या नहीं; फिर मतपत्र लेकर वोट न देने वाले मतदाता के लिए चार क़दम; और आख़िर में अलग से मशीन वाले दिन की "SDMM/DMM No." मोहर।

आधार: पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 40, 42, 43; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132क; आयोग के आदेश 9809 और 1024; आयोग की दोनों मार्गदर्शिकाएँ



मोहर की छाप (फ़ोटो)

मोहर की लाइन	मतलब	आज
Spoilt Cancelled	"खराब-रद्द": मतदाता से अनजाने में ख़राब हुआ मतपत्र	लागू, नियम 42 [Manual पृ. 105] [मतपेटी पृ. 20]
Returned Cancelled	"लौटाया-निरस्त": वोट न देने पर लौटाया गया मतपत्र	नियम 43 हट चुका, अब काम में नहीं [Manual पृ. 105] [मतपेटी पृ. 20]
V.P. Violated Cancelled	मतदान प्रक्रिया तोड़ी: तय प्रक्रिया मानने से मना करने पर रद्द मतपत्र	धारा 132क [मतपेटी पृ. 49]

अधिसूचना क्रमांक **F.4(25)Am/Rule/Ele/Legal/PR/2014/1531, दिनांक 12.11.2014** से राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 का नियम 43 ("Return of ballot papers") हटा दिया गया, और नियम 40 बदलकर लिखा गया; बदले हुए नियम 40 में नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प है। [Manual पृ. 105] आयोग का आदेश क्रमांक **एफ 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/14-15/9809, दिनांक 02.10.2026**, पंच और सरपंच के मतपेटी से होने वाले 2026 के चुनाव के लिए। इसमें भी लिखा है: "नोटा का विकल्प भी उपलब्ध है।" [आदेश 9809, पृ. 1] [पृ. 2]

1 Spoilt Cancelled: "खराब-रद्द"

मतदाता से अनजाने में मतपत्र ख़राब हो जाए, तो वह उसे मतदान अधिकारी को लौटाए और भरोसा दिलाए कि ग़लती अनजाने में हुई। तब उसे दूसरा मतपत्र मिलेगा (नियम 42)। [Manual पृ. 105]

चिह्नित मतदाता सूची में उसकी प्रविष्टि के आगे दोनों मतपत्रों के नंबर लिखे जाएँगे। ख़राब मतपत्र की पीठ पर "खराब-रद्द" लिखकर उसे तय लिफ़ाफ़े में रखा जाएगा। **यह काम मतदान अधिकारी ख़ुद करेगा।** पंच और सरपंच के ख़राब मतपत्र अलग-अलग लिफ़ाफ़ों में जाएँगे, और लिफ़ाफ़े सील होंगे। [मतपेटी पृ. 20]

17. खराब एवं रद्द मतपत्र (Spoil and cancelled ballot papers) :– राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 42 (परिशिष्ट–4 के अध्याय–4) के अन्तर्गत यदि किसी मतदाता का मतपत्र त्रुटिवश खराब हो जाये तो उसे दूसरा मतपत्र दे दिया जायें। चिन्हित मतदाता सूची में संबंधित प्रविष्टि के आगे दोनों मतपत्रों के नम्बर भी लिखे जायेंगे, अर्थात् मतदाता को जो पहले मतपत्र दिया गया था उसका नम्बर भी रहेगा और मतपत्र के खराब हो जाने पर दूसरा मतपत्र दिया गया है वे नम्बर भी अंकित किये जायेंगे। खराब मतपत्र की पीठ पर शब्द ''खराब–रद्द'' लिखकर निर्धारित लिफाफे में रख दें। यह कार्य स्वयं मतदान अधिकारी द्वारा किया जायेंगा। यह ध्यान रखें कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद्

मतपेटी मार्गदर्शिका 2026, बिंदु 17 (खराब एवं रद्द मतपत्र), छपा पेज 20

2 Returned Cancelled: "लौटाया-निरस्त", अब काम में नहीं

पहले नियम 43 में था: मतपत्र लेने के बाद मतदाता वोट न देना चाहे, तो मतपत्र वापस लेकर उसकी पीठ पर "लौटाया-निरस्त" लिखा जाता था। **अब मतदान केन्द्र पर ऐसा कुछ नहीं होगा।** अधिसूचना 1531, दिनांक 12.11.2014 से नियम 43 हटा दिया गया, और उसकी जगह मतपत्र पर नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प दिया गया। जो मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट न देना चाहे, वह नोटा चुन सकता है। इसलिए मोहर की यह लाइन अब काम में नहीं आएगी। [मतपेटी पृ. 20]

18. लौटाये गये–निरस्त किये गये मतपत्र :(Returned and cancelled ballot papers):– राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 43 में यह प्रावधान थे कि मतपत्र लेने के बाद कोई मतदाता मत अंकित नहीं करना चाहे तो उसे वापस ले लिया जायेंगा और उसकी पीठ पर शब्द ''लौटाया– निरस्त'' लिखकर निर्धारित लिफाफे में बन्द कर दिया जायेंगा। किन्तु अब इस प्रकार की कोई कार्यवाही मतदान केन्द्र पर नही की जायेगी क्योंकि अधिसूचना संख्या 1531 दिनांक 12.11.14 द्वारा नियम 43 को विलोपित कर दिया गया है व इसके स्थान पर नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प मतपत्र पर उपलब्ध करवाया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित मतदाता इस विकल्प का उपयोग कर सकता है।

मतपेटी मार्गदर्शिका 2026, बिंदु 18 (लौटाये गये-निरस्त किये गये मतपत्र), छपा पेज 20

Manual of Panchayati Raj Election Law में भी नियम 43 की जगह "Deleted" छपा है। [Manual पृ. 105] बाद का आदेश 9809, दिनांक 02.10.2026 भी यही कहता है: "नोटा का विकल्प भी उपलब्ध है।" [आदेश 9809, पृ. 2]

3 V.P. Violated Cancelled: मतदान प्रक्रिया तोड़ी

> मोहर पर V.P. का पूरा रूप नहीं छपा। यहाँ इसे Voting Procedure (मतदान प्रक्रिया) पढ़ा गया है, क्योंकि नीचे के दोनों दस्तावेज़ इसी बात के लिए यही शब्द इस्तेमाल करते हैं।

मतपत्र मिलने के बाद कोई मतदाता वोट देने की तय प्रक्रिया मानने से मना करे, तो उसे दिया गया मतपत्र रद्द किया जा सकता है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132क में है, जो मतपेटी मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-2 में छपी है: [मतपेटी पृ. 46]

> "132क. मतदान करने के लिये प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्तिः- यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इन्कार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।" [मतपेटी पृ. 49]

पंचायत चुनाव पर यह धारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 से लागू है। [Manual पृ. 64] धारा 132A का अंग्रेज़ी पाठ Manual में छपा है। [Manual पृ. 38]

हिसाब में ऐसे मतपत्र की अलग लाइन है। मतपत्र लेखा (परिशिष्ट-26) के बिंदु 4, "उपयोग में लिये गये किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्र", में पहली लाइन (क) यही है: **"मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किये गये मतपत्र"**। [मतपेटी पृ. 129]

मशीन वाले दिन: ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य

वहाँ मतदान प्रक्रिया टूटे, तो टिप्पणी रजिस्टर में जाती है। प्रक्रिया टूटने की वजह से किसी मतदाता को वोट नहीं देने दिया गया हो, तो मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप-12) के कॉलम-4 (अभ्युक्तियां) में उसकी प्रविष्टि के सामने यह टिप्पणी लिखी जाती है कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण हुआ। [EVM पृ. 92]

मतपेटी वाला दिन · पंच और सरपंच · मतदान दल के लिए

मतपत्र लेने के बाद मतदाता किसी को वोट न देना चाहे, तो क्या करें?

नियम 43 हट चुका है, इसलिए मतपत्र "लौटाया-निरस्त" करके रखने का रास्ता अब नहीं है। [Manual पृ. 105] [मतपेटी पृ. 20]
अब नियमों के हिसाब से यह करना है:

1 नोटा बताइए

मतदाता कहे कि उसे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं, तो उसे बताइए: **किसी को वोट न देना हो, तो मतपत्र पर नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प है।** [नियम 40(1), Manual पृ. 105]

आदेश 9809 के हिसाब से नोटा का स्टीकर आख़िरी उम्मीदवार के बाद वाली अगली जगह पर चिपकाया जाएगा। [आदेश 9809, पृ. 2]

2 तरीका वही रहेगा

नोटा चुनने वाला भी वोटिंग कम्पार्टमेंट में जाकर निशान लगाएगा, मतपत्र मोड़ेगा और **ख़ुद मतपेटी में डालेगा।** मतपेटी रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी की नज़र के सामने रखी जाती है। [नियम 40(1), Manual पृ. 105]

3 फिर भी मना करे, तो मतपत्र रद्द हो सकता है

नोटा जानने के बाद भी मतदाता निशान लगाने या मतपत्र मतपेटी में डालने से मना करे, यानी वोट डालने का तय तरीका न माने, तो धारा 132क के तहत उसे दिया गया मतपत्र रद्द किया जा सकता है। [मतपेटी पृ. 49] [धारा 22, Manual पृ. 64]

ध्यान दें: नियम 42 में दूसरा मतपत्र तब मिलता है, जब मतपत्र अनजाने में ख़राब हुआ हो और मतदाता इस बात पर मतदान अधिकारी को भरोसा दिला दे। [नियम 42, Manual पृ. 105]

4 मतपत्र लेखा में अलग लाइन

ऐसा रद्द मतपत्र मतपत्र लेखा (परिशिष्ट-26) के बिंदु 4 की लाइन (क) में आता है: **"मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किये गये मतपत्र"**। [मतपेटी पृ. 129]

परिशिष्ट–26

पंचायत आम चुनाव, 20.....

मतपत्र लेखा

4. मतदान केन्द्र/बूथ पर उपयोग में लिये गये किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्रः–

(क) मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किये गये मतपत्र

(ख) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लिये गये मतपत्र

(ग) अन्य कारणों से रद्द किये गये मतपत्र

कुल (क+ख+ग)

मतपेटी मार्गदर्शिका 2026, परिशिष्ट-26 (मतपत्र लेखा), छपा पेज 129; बीच का हिस्सा छोड़ा गया

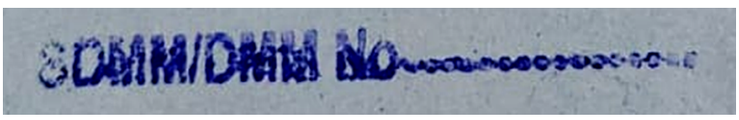
मोहर की लाइनों से मिलान

क़दम 3 वाला रद्द मतपत्र परिशिष्ट-26 की "मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण" वाली लाइन में आता है; V.P. को Voting Procedure पढ़ें, तो ये शब्द मोहर की तीसरी लाइन **V.P. Violated Cancelled** से मिलते हैं। [मतपेटी पृ. 129] दूसरी लाइन **Returned Cancelled** नियम 43 वाली थी, और वह नियम हट चुका है। [मतपेटी पृ. 20]

अलग से · ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य · MPSV मशीन वाला दिन

"SDMM/DMM No." वाली मोहर: कहाँ लगेगी, और SDMM का नंबर कहाँ मिलेगा

पीछे वाली मोहर से अलग: ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव, जो MPSV मशीन से होता है।



चुनाव सामग्री के साथ मतदान अधिकारी को मिलने वाली मोहर (फ़ोटो)

प्रशिक्षण में दिया गया निर्देश

यह मोहर मतदान अधिकारी को चुनाव सामग्री के साथ मिलती है। प्रशिक्षण में निर्देश दिया गया है कि **मोहर वहीं लगेगी, जहाँ फ़ॉर्म में कंट्रोल यूनिट (CU) का नंबर माँगा गया है, और मोहर की ख़ाली लाइन में SDMM का नंबर लिखा जाएगा।**

SDMM का नंबर CU के नंबर से अलग होता है: हर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और SDMM का अपना यूनिक सीरियल नंबर होता है। [MPSV पुस्तिका पृ. 2] नीचे के दोनों फ़ॉर्मों में SDMM के नंबर की कोई छपी लाइन नहीं है।

मोहर पर DMM भी छपा है। FLC के प्रमाण-पत्र में SDMM का नंबर MPSV मशीन के लिए माँगा गया है, और DMM का नंबर MPMV मशीन के लिए। [आदेश 1024, पृ. 14]

MPSV मशीन में एक CU और दो BU

CU × 1 + **BU × 2**

ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य, दोनों चुनावों के लिए कंट्रोल यूनिट एक ही होती है, पर बैलेट यूनिट दो; दोनों बैलेट यूनिट अलग-अलग वोटिंग कम्पार्टमेंट में रखी जाती हैं। [EVM पृ. 29]

15 से ज़्यादा उम्मीदवार हों तो

किसी पद में उम्मीदवार (नोटा समेत) 15 से ज़्यादा हों, तो बैलेट यूनिट बढ़ जाती हैं; दोनों पदों के लिए मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा चार। [EVM पृ. 15]

क प्ररूप-14 भाग-1: "अभिलिखित मतों का लेखा"

इसमें एक लाइन है **"मतदान बूथ पर प्रयुक्त मशीन का पहचान संख्यांक"**, और उसके नीचे दो लाइनें: **नियंत्रण यूनिट** (CU) और **मतदान यूनिट** (BU)। [EVM पृ. 134]

प्ररूप–14
(नियम 47ग और 49घ (6) देखिए)

भाग–1
अभिलिखित मतों का लेखा

निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या से.....
जिला परिषद्/पंचायत समिति/पंचायत वृत्त के लिए निर्वाचन।
मतदान बूथ की संख्या और नाम
मतदान बूथ पर प्रयुक्त मशीन का पहचान संख्यांक.....
नियंत्रण यूनिट.....
मतदान यूनिट.....

ईवीएम मार्गदर्शिका 2026, प्ररूप-14 भाग-1 का ऊपरी हिस्सा, छपा पेज 134

मार्गदर्शिका के भरे हुए नमूने (परिशिष्ट-9) में ये लाइनें ऐसे भरी हैं: नियंत्रण यूनिट 0002, मतदान यूनिट 0004। [EVM पृ. 195]

परिशिष्ट – 9
प्ररूप – 14 नमूना
(नियम–47 ग और 49 घ (6) देखिये)
भाग–1 अभिलिखित मतों का लेखा

निर्वाचन क्षेत्र संख्या से जिला परिषद्/पंचायत समिति अथवा सरपंच/पंच का निर्वाचन
मतदान बूथ की संख्या और नाम – 16 – त थ द

मतदान बूथ में प्रयुक्त मशीन का पहचान संख्यांक	नियंत्रण यूनिट 0002
	मतदान यूनिट 0004

ईवीएम मार्गदर्शिका 2026, परिशिष्ट-9 (प्ररूप-14 का नमूना), छपा पेज 195

ख मतदान अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-8): मद (5) "मतदान मशीन"

मद (5) में (1) काम में ली गई कंट्रोल यूनिट की **संख्या** है, और (2) उनकी **"पहचान क्रम संख्या"**, यानी CU का नंबर। दाईं ओर हर पद की लाइन अलग छपी है: जि.प. सदस्य/सरपंच और पं.स. सदस्य/पंच। बैलेट यूनिट के लिए यही दो बातें (3) और (4) में हैं। डायरी के शीर्षक में मतदान अधिकारी के लिए "पीठासीन ऑफिसर" छपा है। [EVM पृ. 192]

परिशिष्ट – 8

पीठासीन ऑफिसर (प्रिंसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी

(1)	जिला परिषद् का नाम व निर्वाचन क्षेत्र सं.	
(2)	पंचायत समिति का नाम व निर्वाचन क्षेत्र सं.	
(3)	मतदान की तारीख	
(4)	मतदान बूथ का नम्बर व नाम	
(5)	मतदान मशीन	
	(1) उपयोग में ली गयी कन्ट्रोल यूनिट की सं.	1 जि.प. सदस्य/सरपंच 2. पं. स. सदस्य/पंच
	(2) उपयोग में ली गयी कन्ट्रोल यूनिटों की पहचान क्रम संख्या	1 जि.प. सदस्य/सरपंच 2. पं. स. सदस्य/पंच 1 जि.प. सदस्य/सरपंच 2. पं. स. सदस्य/पंच
	(3) उपयोग में ली गयी बैलेट यूनिटों की सं.	1 जि.प. सदस्य/सरपंच 2. पं. स. सदस्य/पंच
	(4) उपयोग में ली गयी बैलेट यूनिटों की पहचान क्रम संख्या	

ईवीएम मार्गदर्शिका 2026, परिशिष्ट-8 (पीठासीन ऑफिसर की डायरी), छपा पेज 192

ग मोहर में लिखने के लिए SDMM का नंबर कहाँ मिलेगा

CU या BU के पीछे लगे सफ़ेद स्टीकर पर

आयोग के आदेश क्रमांक **एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2024/1024, दिनांक 27.01.2026** के मुताबिक़, FLC में चैक हुई हर कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के पीछे सफ़ेद स्टीकर लगता है। उस पर CU, BU और SDMM (MPSV मशीन हो तो) के यूनिक नंबर लिखे जाते हैं। [आदेश 1024, पृ. 1] [पृ. 5]

CU चालू होने पर डिस्प्ले पर जो बातें दिखती हैं, उनमें SDMM का नंबर भी है; पुस्तिका की सूची में यह "RJSDMM" छपा है। [MPSV पुस्तिका पृ. 15] SDMM क्या है, उसका नंबर कैसा दिखता है और कहाँ-कहाँ लिखा जाता है: mockpoll.com/panchayat/rajasthan/2026/sdmm-kramank.html

स्रोत [] छूने पर स्रोत ठीक उसी पेज पर खुलता है (MockPoll पर रखी प्रति); पेज नंबर किताब पर छपे वाले हैं

- राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994, अंग्रेज़ी पाठ (Manual of Panchayati Raj Election Law): नियम 40, 42, 43 (हटा), और अधिसूचना 1531, दिनांक 12.11.2014 वाले फ़ुटनोट [पृ. 105]; पंचायती राज अधिनियम 1994, धारा 22 [पृ. 64]; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, धारा 132A [पृ. 38]।
- आयोग का आदेश क्रमांक एफ 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/14-15/9809, दिनांक 02.10.2026: नोटा का विकल्प और स्टीकर। [आदेश 9809, पृ. 1] [पृ. 2]
- आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2024/1024, दिनांक 27.01.2026: CU और BU के पीछे सफ़ेद स्टीकर, FLC का प्रमाण-पत्र। [आदेश 1024, पृ. 1] [पृ. 5] [पृ. 14]
- राज्य निर्वाचन आयोग: मार्गदर्शिका, जहाँ मतदान मतपेटी से होगा, 2026 (मतपेटी पृ.): पेज 20, 46, 49, 129।
- राज्य निर्वाचन आयोग: मार्गदर्शिका, ईवीएम से मतदान, 2026 (EVM पृ.): पेज 15, 29, 92, 134, 192, 195।
- MPSV अनुदेश पुस्तिका (MPSV पुस्तिका पृ.): पेज 2, 15।